

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2015**

(दिनांक 31.12.2014 को धारित अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **हरिओम सिंह** पिता का नाम **केशवसिंह**
 2. वर्तमान धारित पद- **साचिव ग्राम पंचायत जमुनीपुरा**
अगली वेतनवृद्धि की तारीख - 01-07-2016
3. वर्तमान वेतन-

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2हुनागाव रायचौक	प्रसात	2बीघा	100000 6000000	खिरा के नाम खिरा के नाम	पट्टा खरीद पट्टा खरीद	50000 500000	- -

* जहां लागू न हो काट दी जाए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय श्रेणी तथा पूर्णकालीन सेवा के प्रत्येक सदस्य से एक-एक एक सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहीने की अवधि के पर्याप्त यह प्रमाण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तारीख, पद, अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर उनके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर... **हरिओम सिंह**
 नाम... **हरिओम सिंह**
 पद... **साचिव ग्राम पंचायत**

फार्म

61

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2015
(विनांक 31.12.2015 को धरित अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री रामगोपाल शर्मा पिता का नाम श्री देवी राम शर्मा
2. वर्तमान धरित पद- सचिव क-2 श्वर

3. वर्तमान वेतन- अगली वेतनवृद्धि की तारीख - 1-7-16

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिज्ञानित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>सुवाखा</u> <u>तह सिकलगा</u> <u>जिला कुर्ना</u> <u>पंचवत्स वन्या</u>	<u>भवन</u>	<u>5 बीघा</u>	<u>1 केटेड</u>	<u>श्री राजेश्वर</u>	<u>विरासत</u>	<u>25</u>	
			<u>4 बीघा जमीन</u> <u>4000 रु</u>		<u>विरासत में</u>	<u>20 हजार</u>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आधरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से एक संपत्ति का विवरण लेना आवश्यक है।
यदि संपत्ति के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाए तो उसे तुरंत सुधारा देना होगा।
यदि संपत्ति के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाए तो उसे तुरंत सुधारा देना होगा।
यदि संपत्ति के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाए तो उसे तुरंत सुधारा देना होगा।

हस्ताक्षर
नाम श्री रामगोपाल शर्मा
पद सचिव

